... मुंगेर
(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु माननीय स0वि0स0, श्री मेवा लाल चौधरी द्वारा अनुशंसित योजना में से निम्न योजना का प्राक्कलन तकनीकि स्वीकृति के पश्चात कार्यपालक अभियता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक–1386, दिनांक–23.11.2016 द्वारा इस कार्यालय को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए है तथा इन योजनाओं हेतु सरकारी भूमि की उपलब्धता का प्रतिवेदन संबंधित अंचल अधिकारियों से भी प्राप्त है।

सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित योजना पर प्रदत्त तकनीकि स्वीकृति के आलोक में अग्रलिखित शर्तो के साथ निम्न प्रकार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क0	योजना का नाम	प्रखण्ड/ निकाय	तकनीकि स्वी0 राशि	प्रशा0 स्वी0 की राशि	प्राक्कलन संख्या
1	2	3	4	5	6
01	बिहमा पंचायत के ग्राम धनपुरा में दुर्गास्थान के पास शेडनुमा चबुतरा	तारापुर	273200.00	273200.00	MLC01
02	सजुआ पंचायत के ग्राम मासुमगंज में तड़बना पोखर पर सीढी घाट	असरगंज	434500.00	434500.00	MLC02
03	ग्राम लौना में जोरीया नदी में सिढी घाट	तारापुर	415400.00	415400.00	MLC03
04	ग्राम ढोलपहाड़ी में दुर्गास्थान के समीप शेडनुमा चबुतरा	असरगंज	273200.00	273200.00	MLC04
05	ग्राम खाजेचक में शकील घर के आगे पोखर में सीढी घाट	ह0 खड़गपुर	430500.00	430500.00	MLC05
06	ग्राम कठनी बिन्द टोला में सामुदायिक भवन	टेटियाबम्बर	445600.00	445600.00	MLC06
07	ग्राम लौना में सतेहरा के समीप पोखर में सीढी घाट	तारापुर	421200.00	421200.00	MLC07
08	ग्राम महेशपुर में सीढी घाट का निर्माण	तारापुर	422200.00	422200.00	MLC08
09	ग्राम राजाडीह पंचायत केशौली में अशोक यादव घर के समीप शेडनुमा चबुतरा	टेटियाबम्बर	273200.00	273200.00	MLC09
10	ग्राम खाजेचक पुरब टोला में छठ घाट का निर्माण	ह0 खड़गपुर	430500.00	430500.00	MLC10
		योग–	3819500.00	3819500.00	

प्रशा0 स्वी0 की कुल राशि मो0–3819500.00 (अड़तीस लाख उनीस हजार पांच सौ) रूपये मात्र।

शर्त्ते–

1. कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. योजना कार्यान्वयन से पूर्व उस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रवैधिकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
3. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा द्वारा प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चित करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
4. राशि का संधारण बिहार वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
5. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अंयन्त्र नही होगा।

6. कार्यान्वयन **एजेंसी द्वारा** कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जाय जिसपर **योजना का नाम**, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक नाम तथा **योजना पूर्ण होने** की तिथि अंकित की जायेगी।

7. योजना के **कार्य प्रारंभ किये** जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख मे र जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्च लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।

8. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

9. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

10. कार्यकारी एजेंसी इस योजना मे कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो, किसी भी परिस्थिति में निजी/रैयती जमीन पर योजना कार्य प्रारंभ नही किया जाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि वर्णित कार्य किसी अन्य मद से नही कराया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के कम में किसी तरह के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में कार्य को स्थगित करते हुए प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

11. योजना का एन0ओ0सी0 संबंधित विभाग से प्राप्त कर लेंगे।

12. संबंधित विधान मंडल सदस्य से योजनाओं के शिलान्यास/उद्घाटन में विभागीय निदेशो का अनुपालन करेंगे।

ह0 —

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 153 / जि0यो0, दिनांक 23/3/17

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि— संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि— माननीय स0वि0स0, श्री मेवा लाल चौधरी को सादर सूचनार्थ।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।